

प्रेषक :-

सुनील अग्रवाल, (भा.व.से.)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) एवं

नोडल अधिकारी वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980

मध्यप्रदेश, भोपाल।

प्रति,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,

क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन,

लिंक रोड नं. 3, ई-5, रविशंकर नगर, मध्यप्रदेश, भोपाल।

विषय:- खण्डवा एवं बुरहानपुर जिले में खण्डवा-अमलाखुर्द मीटर गेज को ब्राडगेज लाईन में परिवर्तन हेतु खण्डवा वन मण्डल की 6.18 हेक्टेयर वनभूमि एवं बुरहानपुर वनमण्डल की 15.31 हेक्टेयर वनभूमि कुल 21.49 हेक्टेयर वनभूमि उप मुख्य अभियंता (निर्माण) दक्षिण मध्य रेल्वे, अकोला महाराष्ट्र को उपयोग पर देने बाबत।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक/6-MPC066/2021-BHO दिनांक 09.05.2022

-----0-----

कृपया उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आपने विषयांकित प्रकरण की प्रथम चरण सैद्धांतिक सशर्त स्वीकृति प्रदान की गई थी। स्वीकृति पत्र में उल्लेखित शर्तों का पालन प्रतिवेदन निम्नानुसार है :-

शर्त-A

1- शर्त क्रमांक A(1) के पालन में आवेदक संस्थान ने वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना की लागत राशि रु0 1,51,49,812/- दिनांक 24.05.2022 एवं 76,55,435/- दिनांक 29.06.2022 कुल राशि रु0 2,28,05,247/- यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, नई दिल्ली में ऑनलाईन जमा की जा चुकी है।

2- शर्त क्रमांक A(2) एवं A(3) के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा नेट प्रजेन्ट वैल्यू की राशि रु0 2,64,02,399/- यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, नई दिल्ली में ऑनलाईन दिनांक 24.05.2022 को ऑनलाईन जमा की जा चुकी है।

3- शर्त क्रमांक A(4) के पालन में प्रकरण में प्राप्त वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना एवं नेट प्रजेन्ट वैल्यू की राशि एड-हॉक कैम्पा के अन्तर्गत यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, नई दिल्ली में ऑनलाईन दिनांक 24.05.2022 एवं 29.06.2022 को ऑनलाईन जमा की जा चुकी है।

4- शर्त क्रमांक A(5) के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा वनाधिकार अधिनियम के तहत कलेक्टर, खण्डवा का प्रमाण पत्र दिनांक 14.06.2022 एवं कलेक्टर बुरहानपुर का प्रमाण पत्र दिनांक 13.06.2022 प्रस्तुत किया गया है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है।

5- शर्त क्रमांक A(6) के पालन में ई-ग्रीन वॉच पोर्टल पर व्यपवर्तित वनक्षेत्र एवं वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना की KML file अपलोड कर दी गई है, जिसका ID No. 49488 है।

6- शर्त क्रमांक A(7) से A(9) के पालन में आवेदक संस्थान सहमत है।

7- शर्त क्रमांक A(10) के पालन में विषयांकित प्रकरण में प्रभावित होने वाले वनक्षेत्र में वन मण्डलाधिकारी खण्डवा एवं बुरहानपुर ने उल्लंघन होना प्रतिवेदित नहीं किया है।

8- शर्त क्रमांक A(11) के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा प्रथम चरण स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तों का पालन प्रतिवेदन वेबपोर्टल पर अपलोड किया गया है।

शर्त-B

1- शर्त क्रमांक B(1) से (2) के पालन में आवेदक संस्थान सहमत है।

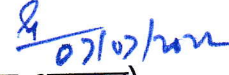
2- शर्त क्रमांक B(3) के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा अतिरिक्त एन0पी0व्ही0 का वचन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसकी छायाप्रति संलग्न प्रेषित है।

3- शर्त क्रमांक B (4) से (14) तक के पालन में आवेदक संस्थान सहमत है।

अतः उपरोक्तानुसार प्रथम चरण सैद्धांतिक स्वीकृति में उल्लेखित समस्त शर्तों का पालन पूर्ण हो गया है। कृपया प्रकरण की अंतिम औपचारिक स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

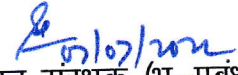
भवदीय


(सुनील अग्रवाल)

पृ. क्रमांक/एफ-5/1103/2022/10-11/2384
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 07/07/2022

- 1- मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय), खण्डवा वृत्त, खण्डवा, मध्यप्रदेश।
 - 2- वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल, खण्डवा/बुरहानपुर, मध्यप्रदेश।
 - 3- उप मुख्य अभियंता (निर्माण), दक्षिण मध्य रेल्वे, अकोला, महाराष्ट्र।
- की ओर सूचनार्थ प्रेषित।


प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल